



तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
27-12-17	पहुलाड डफ/ बहल हेड पत्रावली दिनांक 22-01-18 को चेश डो
22-1-18	पत्रकार/पत्रकार के अधिकार पीठासीन अधिकारी की विधि में/बल अवकाश में है। उनके प्रकृत उनके नाम दिनांक 12-3-18 को प्रकृत है।
12-3-18	पत्रकार/पत्रकार के अधिकार पीठासीन अधिकारी की विधि में/बल अवकाश में है। उनके प्रकृत उनके नाम दिनांक 23-3-18 को प्रकृत है।
23-3-18	पत्रकार/पत्रकार के अधिकार पीठासीन अधिकारी की विधि में/बल अवकाश में है। उनके प्रकृत उनके नाम दिनांक 2-4-18 को प्रकृत है।
4-4-18	पहुलाड डफ/ बहुलाड को लिखा कि डीजरी है कि आगामी पत्रावली पर अवकाश रूप से बहल को पत्रावली दि 25-4-18 को पेश है।
30-4-18	पत्रावली न्याय डफ के डार सिस्टिम में अवकाश सेवा केन्द्र खारुका में पेश हुई पहुलाड को बहल हेड कोफ डवसाडि जा चुके हैं उस के कावसा की बहल नहीं कर रहे हैं बहल बंद की जाती है। पत्रावली का अवकाश मिला गया। पत्रावली के डफा मौका चीजपुरा के खेत ख. नं.

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)**  
फर्द अहकाम  
(नियम-26)  
शम नारायण बनाम गा/पतराड  
..... मुकदमा नं. 93/14 RP

राजस्थान  
हुम या कार्यवाही इनिपिलस जज

1804 व 1805 में होने वाले हेड रास्ता की प्रोग  
मौजा चीजपुरा के ख. नं. 1804/0 के परिचय सीव  
के डफ से 140 बीए लम्बा व 151 फिट चौड़ा रास्ता चासा  
है। ख. नं. 1804 व 1805 के सभी बवालोटों को  
पश्चात् भी नहीं बनाया है। पत्रावली की तुरिधरी पेश  
किया है। पत्रावली नारायण व अशरफिया उजाराड  
मौमाड व रुका ने राजीनामा पेश कर मौजा चीज-  
पुरा के खेत खलस नम्बर 1931 में छे माफिक  
नजदी नफसा के अनुसार 10 बिल्ला चाई रासे के  
लिफे डेने हेड निवेदन किया। पत्रावली में पत्रावली  
के द्वारा ख. नं. 1804/1 में छे रास्ता चासा है। राजीनामा  
गलत खलस का पेश किया गया।

उपरोक्त विवेचन व अवलोकन से स्पष्ट  
होता है कि पत्रावली का पत्रावली एज चलने (अवकाश) योग्य  
नहीं है। जिल के कारण पत्रावली का पत्रावली पत्रावली  
का डफ खलस किया जाता है। पत्रावली के डफ  
डुमाड डोक नम्बर से डफ डोक डकतर बाकिल है।